लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांकः BRLPS/LSBA-Estt/07/16/294 दिनांकः 13.09.17

प्रेषक,

बालामुरुगन डी०, भा०प्र०से०
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-राज्य मिशन निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
-सह- अध्यक्ष जिला जल एंव स्वच्छता समिति।

विषयः - दिनांक 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक "स्वच्छता ही सेवा" अंर्तगत कार्यक्रम आयोजित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान मार्च 2019 तक खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में पेय जल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा "स्वच्छता ही सेवा" के तहत दिनांक 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में स्वच्छता का वातावरण तैयार करने हेतु कार्यक्रम आयोजित किये जाने का निदेश प्राप्त हुआ है।

लोहिया स्वच्छ बिहार, अभियान प्रस्तावित कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं स्वच्छता गतिविधियों को गति देने हेतु निर्धारित समयावधि में सभी गैर सरकारी संगठनों, विदयालयों एवं महाविदयालयों, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों, निगमों, सरकारी अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों से सक्रिय भागीदारी निभाने का आग्रह करता है।

सुलभ प्रसंग हेतु पंचायत, प्रखण्ड और जिला स्तर पर आयोजित कि जानेवाली गतिविधियों के की रुप रेखा पत्र के साथ संलग्न है।

अनुरोध है कि संलग्नक के अनुरुप ही कार्यक्रम आयोजित कि जाये एवं व्यय को (SBM-G)- IEC मद से भुगतान के साथ प्रतिवेदन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के वेबसाइट (आई0 एम0 आई0 एस0) पर भी अपलोड करना सुनिश्चित किया जाये।

अनुलग्नकः 1) कार्यक्रम की विवरणी
2) शपथ पत्र की प्रति

विश्वासभाजन

13/09/17

(बालामुरुगन डी0)

प्रतिलिपिः- सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- सचिव, ग्रमीण विकास विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- विकास आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा हेतु आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम:-

1 जिला पदाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर स्वच्छ प्रथाओं को अपनाते हुये पर्यावरण अनुकूल वातावरण में कार्यक्रम आयोजित करने हेतु स्वच्छता सेवा से संबंधित आयोजित कि जानेवाली गतिविधियों के बारे में आम जनमानस के बीच रेडियो, टी0 वी0, समाचार पत्रों, माइकिंग आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया जा सकता है।

2 स्वच्छता ही सेवा के बारे में जानकारी दिये जाने हेतु सभी सार्वजनिक स्थलों पर पूर्ण विवरण के साथ प्रचार-प्रसार से संबंधित होर्डिंग, पोस्टर, आदि लगाया जा सकता है। जिसमें आम जन समुदाय की सहज और सक्रिय भागीदारी निभाये जाने और योगदान दिये जाने का जिक्र हो।

3 प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकरी एवं प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक, जीविका स्वच्छता सेवा के लिये नोडल अधिकारी की भूमिका निभाते हुये प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुकूल क्रियान्वित करा सकते हैं।

4 जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से अधिसूचना या पत्र जारी कर स्कूल और कॉलेजों के माध्यम से श्रमदान अभियान, कराया जा सकता है। स्थानीय छात्रों को अपने गांव में कम से कम दो घंटों के लिये श्रमदान करने हेतु प्रेरित किया जाये। जिसके तहत व्यक्तिगत शौचालयों के लिये गडढा खोदा जाना, गलियों की सफाई आदि कार्य कराया जा सकता है।

5 ओ0 डी0 एफ0 प्रखण्ड, पंचायत और गांव के तालाबों, नदियों और अन्य जल स्रोत्रों, चापाकल, नल के आसपास ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन, सफाई आदि का कार्य कराया जा सकता है।

6 जागरुकता एवं जनमानस के व्यवहार परिवर्तन के लिये सभी स्तरों पर निम्नांकित कार्यक्रम स्थानीय स्तरों पर आयोजित किया जा सकता है :-

- स्वच्छता शपथ :- सभी विदयालयों / सरकारी एवं गैरसरकारी संगठनों/ पंचायत प्रतिनिधियों / स्वमं सहायता समूहों आदि के साथ
- मशाल जुलूस,
- जागरुकता रैली,
- लोटा बहष्किार,
- गडडा खोदो अभियान
- साइकिल यात्रा
- श्रमदान कार्यक्रम
- पद यात्रा
- प्रभात फेरी
- मानव शृंखला

- स्वच्छता मैराथन
- स्वच्छता अदालत
- नुक्क्ड नाटक, लधु फिल्म प्रदर्शन एवं कठपुतली कार्यक्रम
- हस्ताक्षर अभियान
- बाढ प्रभावित क्षेत्रों में शौचालयों के पुनर्निर्माण की और पीडितों को सहयोग
- शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय निर्माण हेतु सामग्री दान

7 इसके अतिरिक्त, स्वच्छ गांधी जयंती मनाने और जश्न मनाएं! के नाम से विशेष कार्यकम आयोजित किया जा सकता है।

8 स्थानीय स्तर पर नव प्रयोग कर अगर कोई भी आईईसी/बी0 सी0 सी0 गतिविधियों को शुरू किया जाये, जिसमें स्थानीय चैंपियनों/ स्वच्छाग्ारहीयों को भी शामिल किया जा सकता है।

9 प्रतिष्ठित या सार्वजनिक स्थानों, बस स्टैण्ड के आसपास के इलाकों में समुदायों द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम के तहत सफाई के पूर्व और सफाई के बाद का चित्र को प्रदर्शित किया जा सकता है।

10 सड़कों और सभाओं में स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में स्वच्छता गतिविधियों को संचालित कराया जा सकता है।

11 अपने क्षेत्र के आंगनबाडी केन्द्र/ स्कूल / सरकारी भवनों / स्वास्थ्य केंद्र के शौचालय का सर्वेक्षण किया जाना और अनूकूल बनाये जाने हेतु अनुश्रवण किया जाना।

12 स्थानीय लोगों द्वारा ग्राम स्वच्छता सूचकांक पर अपने गांव को मूल्यांकन किया जा सकता है।

13 शौचालयों का उपयोग करने के लिए विकलांग / बूढ़े लोगों के लिए विशेष शौचालय सामग्री का प्रचार-प्रसार के कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है।

14 धार्मिक स्थलों एवं सार्वजनिक स्थलों पर स्थानीय धार्मिक नेताओं, जन प्रतिनिधियों और समुदाय के साथ सफाई कर और शपथ भी कराया जा सकता है।

तिथिवार कायर्क्रम विवरण:-

दिनांक 17 सितम्बर को सेवा दिवस

दिनांक 24 सितम्बर को समग्र स्वच्छता

दिनांक 25 सितम्बर को सर्वत्र स्वच्छता

दिनांक 1 अक्टूबर को प्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध स्थलों पर स्वच्छता

दिनांक 2 अक्टूबर को स्वच्छ गांधी जयंती मनाने और जश्न मनाएं! का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाये।

उक्त तिथियों पर आयोजित कार्यक्रम की सूचना फाटो सहित, **sbm.gov.in/Swachhatahiseva/index.axpx** पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

....

<u>हिंदी रूपांतर</u>

"स्वच्छता ही सेवा" शपथ

मैं .... अपने अंतःकरण से यह दृढ संकल्प करता/ करती हूँ कि मैं स्वयं को एक स्वच्छ, स्वस्थ और नवीन भारत के निर्माण एवं दिनांक १५ सितम्बर से २ अक्टूबर २०१७ तक चल रहे "स्वच्छता ही सेवा" जन-आन्दोलन के लिए पूरी निष्ठा के साथ समर्पित करता/ करती हूँ जिसमें मैं,

--घर, विद्यालय, कॉलेज, स्वास्थ्य केन्द्र, रेलवे और बस स्टेशन, तालाबों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता को बढ़ावा दूंगा/ दूंगी.

--स्वयं द्वारा और अन्य लोगों, जो स्वयं के लिए व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, दो गड्ढा शौचालय के निर्माण में सहायता कर गाँव और कस्बों को खुले में शौच से मुक्त करने में योगदान दूंगा/ दूँगी.

-- शौचालयों के प्रयोग , हाथों की सफाई और अन्य स्वच्छता आदतों को अपना कर स्वच्छता हेतु व्यवहार परिवर्तन में भाग लूँगा / लूंगी.

-- रेड्यूस,रिसाइकल, और रियूज़ के सिद्धांत को अपनाते हुए ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा दूंगा / दूँगी.

"Swachhata Hi Seva" Pledge

We solemnly resolve to create a clean, healthy and new India and dedicate ourselves to "Swachhata Hi Seva"movement starting today the 15th of September 2017 and culminating on Gandhi Jayanti - 2nd October 2017, to promote:

Cleanliness- in Households, Schools and Colleges, Health Centers, Railway Stations, Bus Stops, Ponds and all other Public places;

Open defecation free villages and towns - through construction of twin pit toilets for ourselves and for others who themselves cannot make one;

Behavior change: by using toilets and washing hands and adoption of other Swachh practices;

Management of Solid and Liquid Waste: by adopting the principle of "Reduce, Recycle and Reuse" and safe management of solid and liquid waste.